रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 14, 1986/आषाढ़ 23, 1908
No. 9] NEW DELHI, MONDAY, JULY 14, 1986/ASADHA 23, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1986

का. नि. आ. 9(अ):—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 31 अगस्त, 1986 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख को निम्नलिखित छावनी बोर्डों के वार्डों के निर्वाचन होंगे :—

क्रम संख्या	छावनी बोर्ड का नाम
1.	खड़की छावनी का वार्ड सं० I
2.	बदामीबाग छावनी का वार्ड सं. II

[फाइल सं. 29/सामान्य/निर्वाचन/सी/एल एण्ड सी/85/2477-ए/रक्षा (क्यू एण्ड सी)]

के. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 14th July, 1986

S.R.O. 9(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby fixes the 31st August, 1986 as the date on which elections to the Wards of the Cantonment Boards indicated below shall be held :—

Sl. No.	Name of the Cantonment Board
1.	Ward No. I of Roorkee Cantonment
2.	Ward No. II of Badamibagh Cantonment

[F. No. PC.II-29|Gen|Ele|C|L&C|85|2477-A|D (Q&C)]

K. SRINIVASAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986